Sixteenth Loksabha

an>

Title: The Minister of State in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Minister of State in the Ministry of Commerce and Industries laid a statement correcting reply given to Unstarred Question No. 1838 dated 06.03.2018 regarding Damaged wheat in Punjab

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRIES (SHRI C.R. CHAUDHARY): I beg to lay a Statement correcting the reply given on 06.03.2018 to Unstarred Question No. 1838 (Hindi version) by Shri K. Ashok Kumar, MP, regarding 'Damaged Wheat in Punjab'.

अधिप्रमाणित

(सी.आर. चौधरी)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

नई दिल्ली

दिनांकः 7.03.2018

"पंजाब में नष्ट हुई गेहूं" के बारे में **श्री के. अशोक कुमार**, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए और लोक सभा में दिनांक 06.03.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 1838 के उत्तर के **भाग (ख) और (ग)** में संशोधन हेतु उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री द्वारा दिया जाने वाला वक्तव्य

प्रश्न	पहले दिया गया उत्तर	भाग (ख) और (ग) का संशोधित उत्तर
(क) क्या यह सच है कि निज़ी उद्यमी गारंटी योजना, जिससे राज्य में खाद्यान्नों की भंडारण क्षमता बढ़ने की आशा थी, के	(क) 31 मार्च, 2016 को समाप्त अवधि के लिए कवर्ड और प्लिंथ (कैप) भंडारण में पंजाब में राज्य एजेंसियों के पास रखे विभिन्न	(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता, उपर्युक्त (क) में उल्लिखित खाद्यान्नों का स्टॉक भारतीय

कार्यान्वयन में विलंब की वजह से पंजाब में 700.30 करोड़ रुपए मूल्य की 4.72 लाख टन से अधिक गेहूं मार्च, 2016 तक नष्ट हो गई; (ख) क्या यह सच है कि नष्ट गेहूं को सार्वजनिक वितरण हेतु गैर-जारी करने योग्य गेहूं घोषित किया गया, क्योंकि भारतीय खाद्य निगम ने उसका खुले क्षेत्र में भंडारण किया था; और (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?	फसल वर्षों के 4.72 लाख टन जारी न करने योग्य/क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों के स्टॉक की मात्रा मुख्य रुप से स्टॉक का गलत तरीके से रखरखाव करने के कारण थी । राज्य की खरीद और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जरुरतों को पूरा करने हेतु भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए 28.07.2008 को निजी उद्यमी गारंटी स्कीम लागू की गई थी। आरंभ में इस स्कीम के लिए उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी। कई बार निविदाएं आमंत्रित की गई थी और निरंतर प्रयास जारी रखे गए थे। विलम्ब, निविदाओं के प्रति पार्टियों की निराशाजनक प्रतिक्रिया और कोट की गई उच्च दरों के कारण हुआ था। निराशाजनक प्रतिक्रिया को देखते हुए गारंटीशुदा किराए की अवधि को आरंभ में 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष और बाद में 10 वर्ष कर दिया गया था। इस बात को देखते हुए पंजाब में 2011-2012 में 38.84 लाख टन की अधिकतम क्षमता का कार्य सौंपा गया था जो 2013-14 और 2014-15 में पूर्ण हो गया था। भरतीय खाद्य निगम द्वारा सुपुर्दगी में ली गई निजी उद्यमी गारंटी स्कीम के गोदामों की क्षमता 40.88 लाख टन थी। इन क्षमताओं ने तत्पश्चात पंजाब में कैप/कच्चा प्लिंथ/मंडियों में गेहूं के	खाद्य निगम द्वारा अधिग्रहित नहीं किया गया था।

	स्टॉक में कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। (ख) और (ग); बफर गोदाम मलोट (फरीदकोट), पंजाब के कैप में बाढ़ के कारण 2015-16 के दौरान फसल वर्ष 2013-14 का केवल 0.528 टन गेहूं खाद श्रेणी में क्षतिग्रस्त के रुप में घोषित किया गया था।	

विलम्ब का कारण

उक्त त्रुटि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के ध्यान में दिनांक 06.03.2018 को उत्तर को लोक सभा के पटल पर रखे जाने के बाद आई थी। तत्पश्चात उत्तर के संशोधित पाठ के लिए माननीय राज्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में कुछ समय लग गया था। अतः यह विलम्ब हुआ है।